

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 10641/2023

रामनारायण चौधरी पुत्र बलूराम चौधरी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुरा, पोस्ट बड़ा पदमपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), मुख्यालय, लोधी रोड, नई दिल्ली, इसके महानिदेशक के माध्यम से।
2. सीनियर कमांडेंट, सीआईएसएफ, 8 वीं रिजर्व बटालियन, पोस्ट आमेर कुंदा, हठीगांव के पास, नरदपुर रोड, जिला जयपुर।
3. कमांडेंट/अध्यक्ष, सीआईएसएफ, ताजमहल, आगरा।
4. उप कमांडेंट, सीआईएसएफ, देओली, जिला टोंक।

-----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री हनुमान चौधरी
उत्तरदाता(ओं) के लिए	:	श्री संदीप पाठक

माननीय श्री. जस्टिस समीर जैन

आदेश

सूचनादायी

आरक्षित किया गया : 25/04/2024

उच्चारण किया गया : 23/05/2024

(इस मामले में डी.बी. एस ए डब्ल्यू 897/2023 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:34:10 बजे डाउनलोड किया गया)

1. वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें निम्नलिखित प्रार्थना की गई है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

"i) दिनांक 30/06/2023 का विवादित अस्वीकृति आदेश/पर्ची, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को कांस्टेबल/ड्राइवर पद की भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था, जो कांस्टेबल/ड्राइवर सह-पंप ऑपरेटर (फायर सर्विस हेतु ड्राइवर) के लिए सीआईएसएफ -2022 की भर्ती सूचना के अनुसार थी, कृपया निरस्त और समाप्त की जाए, तथा प्रतिवादियों को दिशा-निर्देश दिए जाएं कि याचिकाकर्ता की भागीदारी दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में सुनिश्चित की जाए, जो अभी भी प्रगति में है और 13/07/2023 तक एवं उसके बाद तक जारी है; और यदि याचिकाकर्ता शेष भर्ती प्रक्रिया में अन्यथा उपयुक्त पाया जाता है, तो कांस्टेबल/ड्राइवर पद पर भर्ती के लिए सभी परिणामी सेवा लाभों के साथ उसे शामिल किया जाए

(ii) कोई अन्य आदेश, जिसे यह माननीय न्यायालय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उचित और उपयुक्त समझे, वह भी विनम्र याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए, साथ ही इस रिट याचिका की लागत भी दी जाए"

2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री हनुमान चौधरी ने यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत कांस्टेबल चालक के पद हेतु चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। इस संबंध में यह कहा गया कि याचिकाकर्ता को भारी मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस दिनांक 29.06.2019 से संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था तथा उक्त लाइसेंस को बाद

(इस मामले में डी.बी. एस ए डब्ल्यू/897/2023 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:34:10 बजे डाउनलोड किया गया)

में 30.06.2023 से 29.06.2028 तक के लिए नवीनीकृत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता महोदय ने यह भी प्रस्तुत किया कि उक्त चयन प्रक्रिया के अंतर्गत याचिकाकर्ता ने शारीरिक मानक परीक्षण (पी एस टी) / शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी ई टी) उत्तीर्ण कर लिया था; तथापि दस्तावेज सत्यापन के दौरान, याचिकाकर्ता का लाइसेंस, जो 30.06.2023 को नवीनीकृत हुआ था, विचाराधीन नहीं लिया गया और इसके परिणामस्वरूप 30.06.2023 के आदेश (संलग्न-5 के रूप में चिह्नित) द्वारा याचिकाकर्ता की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि याचिकाकर्ता के पास भारी मोटर वाहन हेतु मान्य ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध नहीं था।

3. याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने में कथित अवैधता को व्यक्त करते हुए श्री चौधरी ने तर्क दिया कि भारी मोटर वाहनों का लाइसेंस 30.06.2023 से नवीनीकृत किया गया है, जो 29.06.2028 तक वैध है। अतः, याचिकाकर्ता के पास विज्ञापित नौकरी के पद के लिए विधिवत वैध लाइसेंस था। ऐसे में, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करना स्पष्ट रूप से अनुचित और अवैध है।

4. इसके अलावा, अधिवक्ता ने न्यायालय को यह भी अवगत कराया कि वर्तमान याचिका दायर करने के पश्चात दिनांक 19.07.2023 के आदेश के अनुसार इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने की अस्थायी अनुमति दी थी, जिसमें लिखित परीक्षा भी शामिल थी। अतः इसे आगे बढ़ाते हुए यह दृढ़ता से तर्क दिया गया कि जब याचिकाकर्ता पहले ही लिखित परीक्षा में उपस्थित हो चुका है, तो दस्तावेज

(इस मामले में डी.बी.एस ए डब्ल्यू/897/2023 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:34:10 बजे डाउनलोड किया गया)

सत्यापन की तिथि पर आवश्यक लाइसेंस न होने मात्र को याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता के पास पर्याप्त ड्राइविंग अनुभव है। तदनुसार, यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान याचिका को प्रस्तुत प्रार्थना के अनुसार स्वीकार किया जाए।

5. प्रतिपक्षी, प्रतिवादी के लिए प्रस्तुत वकील, श्री संदीप पाठक ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता दस्तावेज सत्यापन के समय भारी मोटर वाहनों का वैध नवीनीकृत लाइसेंस प्रस्तुत करने में विफल रहा। अतः, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करना कानून में सही था और परिणामस्वरूप, आदेश दिनांक 30.06.2023 (जो संलग्नक-5 के रूप में अंकित है) को लेकर किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में, प्रस्तुत वकील ने विज्ञापन/ भर्ती सूचना-20022 के कंडीशन नंबर 1.5, 3.6, 4.3, 5.3, 5.4, 8.4, 10.2 व 11.4 पर भरोसा किया। आगे तर्क दिया गया कि यह कानून का स्थापित नियम है कि यदि आवश्यक पूर्व-आवश्यकताएँ उम्मीदवार के पास अंतिम निर्धारित तिथि तक नहीं हैं, तो ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की जा सकती। उपरोक्त के समर्थन में, इस पर भरोसा किया गया। दिव्या बनाम भारत संघ एवं अन्य, जो (2024) 1 एस सी सी 448 में प्रकाशित है, क. श्रीनिवासन राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण एवं अन्य, जो (2012) एस सी सी ऑनलाइन एपी 1169 में प्रकाशित है, और डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13199/2022, जिसका शीर्षक है पारुल जैन बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं अन्य।

(इस मामले में डी.बी. एस ए डब्ल्यू/897/2023 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:34:10 बजे डाउनलोड किया गया)

6. इसके अतिरिक्त, श्री पाठक ने तर्क दिया कि विज्ञापन/चयन प्रक्रिया की योजना के अनुसार, उम्मीदवारों के पास भारी मोटर वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 22.02.2023 तक होना आवश्यक था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उसके पास उक्त लाइसेंस उस समय तक नहीं था। अतः, वर्तमान याचिका में योग्यता नहीं है, इसलिए इसे भारी लागत के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

7. दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा दिए गए तर्कों को सुना और विचार किया गया, याचिका के रिकॉर्ड की जाँच की गई और बार पर बताए गए निर्णयों का अवलोकन किया गया।

8. इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड के गहन अध्ययन के पश्चात, निर्णय के लिए निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय माने जाते हैं:

8.1 सीआईएसएफ -2022 में कांस्टेबल/ड्राइवर की भर्ती के लिए जारी नोटिस के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथियाँ 23.01.2023 से 22.02.2023 तक निर्धारित थीं। साथ ही, स्पष्टता के लिए, उक्त नोटिस, जो संलग्नक-2 के रूप में चिह्नित है, स्पष्ट रूप से और स्पष्ट तरीके से 'अंतिम तिथि' 22.02.2023 को रात 11:00 बजे तक लिखी गई थी। अतः, उक्त नोटिस के अनुसार, किसी प्रकार की उलझन की संभावना नहीं छोड़ी गई थी, जिससे किसी भी भ्रम की गुंजाइश समाप्त हो जाती है याचिकाकर्ता ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को लेकर असमंजस है।

8.2 याचिकाकर्ता की याचिका के अनुसार, यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता का पूर्व प्रचलित लाइसेंस 29.06.2019 से जारी हुआ था। हालांकि, उक्त लाइसेंस का नवीनीकरण केवल 30.06.2023 से 29.06.2028 तक हुआ।

(इस मामले में डी.बी. एस ए डब्ल्यू/897/2023 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:34:10 बजे डाउनलोड किया गया)

8.3 शर्त संख्या 1.5 को 3.6 एवं 5.3 के साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि सीआईएसएफ-2022 में कांस्टेबल/ड्राइवर की भर्ती सूचना में दस्तावेजों की जांच के समय पात्रता प्रमाण पत्रों और/या दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ सत्यापन किया जाना था। इसके अलावा, इन शर्तों के अनुसार, सभी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक था कि वे दस्तावेज सत्यापन के समय भारी मोटर वाहन के लिए आवश्यक मूल लाइसेंस साथ लाएं, ताकि सही जांच हो सके। ऐसा न करने पर, अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तत्काल खारिज कर दी जाएगी और उस अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही, योग्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के रूप में दी गई थी।

8.4 विषय सूचना की उपर्युक्त शर्तों के अनुसार, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है कि अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक किया गया था कि उनके पास ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात् 22.02.2023 को वैध लाइसेंस हो। इसके अलावा, उक्त लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों का सत्यापन प्रतिवादियों द्वारा 30.06.2023 को किया जाना था।

8.5 अनुलग्नक-5 अर्थात् संदिग्ध आदेश दिनांक 30.06.2023 / अस्वीकृति पत्र, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। स्वयं याचिकाकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि ऐसे दस्तावेज सत्यापन की तिथि पर उसके पास नवीनीकृत लाइसेंस उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उस तिथि को लाइसेंस का नवीनीकरण प्रक्रिया में था। इस तथ्य को

(इस मामले में डी.बी. एस ए डब्ल्यू/897/2023 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:34:10 बजे डाउनलोड किया गया)

याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में भी स्वीकार किया है। इस संदर्भ में यह ध्यान दिया गया कि याचिकाकर्ता का लाइसेंस केवल बाद में 30.06.2023 से 29.06.2028 तक के लिए नवीनीकृत किया गया।

8.6 उपर्युक्त नियमों के प्रकाश में यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात् 22.02.2023 या दस्तावेज सत्यापन की तिथि अर्थात् 30.06.2023 को याचिकाकर्ता के पास भारी मोटर वाहनों के लिए वैध नवीनीकृत लाइसेंस शारीरिक रूप से उपलब्ध नहीं था। उक्त लाइसेंस केवल बाद में जारी हुआ, वह भी 30.06.2023 से 29.06.2028 तक के लिए। अतः दस्तावेज सत्यापन के समय उक्त लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

9. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जब नियमों/विज्ञापन में योग्यता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि स्पष्ट रूप से नहीं दी गई होती है, तब ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को ही वह प्रासंगिक तिथि माना जाता है, जिस पर अभ्यर्थी के पास सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। इस संबंध में आदरणीय खंडपीठ के निम्न कथन पर भरोसा किया जा सकता है, जैसा कि डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या **11784/2022**, शीर्षक ज्योति बेनीवाल बनाम राजस्थान हाई कोर्ट एवं अन्य तथा परुल जैन (सुप्रा) में प्रतिपादित किया गया है।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 22.02.2023 रात 11:00 बजे तक थी।

(इस मामले में डी.बी. एस ए डब्ल्यू/897/2023 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:34:10 बजे डाउनलोड किया गया)

इसके बावजूद, यह स्वीकार्य है कि याचिकाकर्ता के पास उक्त तिथि तक भारी मोटर वाहनों के लिए आवश्यक नवीनीकृत लाइसेंस मौजूद नहीं था। साथ ही, दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के दिनांक 30.06.2023 को भी याचिकाकर्ता के पास उक्त लाइसेंस नहीं था। नवीनीकृत लाइसेंस केवल भौतिक सत्यापन की तिथि के बाद जारी किया गया, जो 30.06.2023 से 29.06.2028 तक वैध था। इस परिस्थिति में यह ध्यान दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के पास उक्त पद के लिए आवश्यक योग्यता और/या अनुभव था, जिससे प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं को टाला जा सकता है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि भर्ती सूचना के मुख्य भाग में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थी। इसलिए, उस अंतिम तिथि के बाद दस्तावेज/लाइसेंस प्राप्त करने में हुई किसी भी देरी के लिए पूर्ण रूप से याचिकाकर्ता जिम्मेदार है, और इसे केवल इस आधार पर स्वीकार या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता के पास जरूरी अनुभव और/या योग्यताएं थीं। नियमों को बदलना या उनमें हस्तक्षेप करना केवल याचिकाकर्ता को सुविधा देने के लिए उचित नहीं है, विशेष रूप से जब इस विषय में कानून स्पष्ट है, जैसा कि परूल जैन (सुप्रा) एवं ज्योति बेनीवाल (सुप्रा) में भी उल्लेखित है।

11. इसके अलावा, एक समान विषय से संबंधित मामले में, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने के. श्रीनिवासन राव (सुप्रा) में निम्नलिखित रूप से निर्णय दिया है

“प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं ने अधिसूचना दिनांक 30/12/2008 जारी किए जाने की तिथि को आवश्यक योग्यताएँ

(इस मामले में डी.बी.एस ए डब्ल्यू/897/2023 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:34:10 बजे डाउनलोड किया गया)

पूरी की थीं। स्वीकार किया गया है कि उसी तिथि को ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई थी। अधिसूचना दिनांक 30/12/2008 के अनुसार, कुछ याचिकाकर्ताओं के मामले में और अन्य कुछ मामलों में, भारी ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता भी 30/12/2008 को समाप्त हो गई थी। उक्त ड्राइविंग लाइसेंस या भारी परिवहन वाहन की मान्यता का नवीनीकरण, यदि 30/12/2008 के बाद किया गया है, तो उसकी वैधता नवीनीकरण की तिथि या मान्यता की तिथि से ही मानी जाएगी। अतः इसमें कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान मामले में किसी भी याचिकाकर्ता के पास उक्त तिथि पर भारी परिवहन वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस/मान्यता नहीं थी। अतः दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान प्रतिवादियों ने पाया कि याचिकाकर्ता सहायक मोटर वाहन निरीक्षक के पद हेतु पात्र नहीं हैं, इसलिए उन्हें चिकित्सीय परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया।”

12. अतः, निष्कर्ष स्वरूप, परूल जैन (सुप्रा), ज्योति बेनीवाल (सुप्रा) और के. श्रीनिवासन राव (सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर, और सीआईएसएफ - 2022 में कांस्टेबल/ड्राइवर की भर्ती की योजना का विशेष रूप से संज्ञान लेते हुए, साथ ही इस तथ्य के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता के पास भारी मोटर वाहनों के नवीनीकृत लाइसेंस की उपलब्धता न तो 22.02.2023 को यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को थी और न ही 30.06.2023 को यानी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन की तिथि को थी, यह न्यायालय वर्तमान याचिका में हस्तक्षेप का इच्छुक नहीं है।

(इस मामले में डी.बी. एस ए डब्ल्यू/897/2023 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:34:10 बजे डाउनलोड किया गया)

13. परिणामस्वरूप, यह वर्तमान याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदनों, यदि कोई हैं, का भी निस्तारण किया जाता है।

(समीर जैन),जे

अनिल शर्मा /1141

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate

(इस मामले में डी.बी. एस ए डब्ल्यू/897/2023 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:34:10 बजे डाउनलोड किया गया)